मंत्री-कर्मचारियों ने एक-दूसरे पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

जयपुर, 2 अगस्त (का.सं.)। जयपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट और पटवारियों ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे पटवारियों ने मंत्री के सामने ट्रांसफर-पोस्टिंग में हजारों-लाखों रुपए लेने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। जवाब में मंत्री ने अपने भाषण में पटवारियों से कहा- आप लोग आए दिन एसीबी की पकड़ में आते हैं।

दरअसल, राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले बड़ी संख्या में राजस्व सेवा के कर्मचारियों (पटवारी, नायब तहसीलदार, गिरदावरों) ने आज जयपुर स्थित मंत्री रामलाल जाट के आवास के बाहर घेराव कर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मंत्री को ज्ञापन देने के लिए घर से बाहर बुलाया। मंत्री के पहुंचने पर माइक पर ही प्रदर्शनकारियों के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। इसके बाद मंत्री ने भी उसी माइक के जरिए प्रदर्शनकारियों को भाषण देकर अपना जवाब दिया।

ट्रांसफर के 50 हजार से एक लाख रुपए तक लेते हैं

पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेन्द्र कविया ने कहा- हमारे कई साथी ऐसे हैं, जिनका पहले तो ट्रांसफर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर समेत दूर-दराज के एरिया में कर दिया। अब दोबारा वे ट्रांसफर के लिए कहते हैं तो 50 हजार से एक लाख रुपए तक मांगे जाते हैं। ट्रांसफर में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है।

25 करोड़ रूपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा- प्रोजेक्ट्स में कार्य की गति बढाएं कॉन्ट्रेक्टर फर्मे: डॉ. सुबोध अग्रवाल

जयपुर, 02 अगस्त। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना डॉ. सुबोध अग्रवाल ने जल संसाधन विभाग एवं आईजीएनपी की विभिन्न परियोजनाओं में अनावश्यक देरी को गंभीरता से लेते हुए जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा होने की अवधि पूरी हो चुकी है उन्हें 30 सितम्बर तक की मोहलत देते हुए संबंधित इंजीनियर इंचार्ज को ऐसी फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पीएचईडी की तर्ज पर उन्होंने जल संसाधन विभाग में भी लापरवाह फर्मों को रेड लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। डॉ. अग्रवाल बुधवार को यहां आईजीएनपी बिल्डिंग में जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं सीएडी की 25 करोड़ रूपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोटा संभाग की 17 एवं हनुमानगढ़ की 10 परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना प्रथम चरण, तकली मध्यम सिंचाई परियोजना, रामगंज मंडी, गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना, हथियादेह परियोजना आदि की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से, गुणवत्ता बरकरार रखते हुए पूरी करने के निर्देश दिए। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि जो परियोजनाएं टाइम ओवर रने हैं उन्हें 30 सितम्बर तक किसी भी हाल में प्रगति करके दिखानी होगी।

उन्होंने ऐसी फर्मों की सूची बनाने के भी निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने घग्घर नदी में इस मानसून में अत्यधिक पानी आने से हनुमानगढ़ में बने बाढ़ जैसे हालात के दौरान स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए बाढ़ नियंत्रण के संबंध में उठाए गए कदमों की एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति बनने पर ये उपाय काम में लाए जा सकें।

समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव जल संसाधन श्री भुवन भास्कर, मुख्य अभियंता रिवर बेसिन ऑथोरिटी श्री विनोद चौधरी, मुख्य अभियंता आईजीएनपी श्री असीम मार्कण्डेय, मुख्य अभियंता सीएडी सहित विभिन्न जोन के मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता शामिल हुए।

जयपुर में ज्वेलर पर गोलियां चलाने वाले हार्डकोर बदमाश

जयपुर, 2 अगस्त (का.सं.)। 2 हिस्ट्रीशीटर आते हैं और एक ज्वेलर के घर में घुसकर उसपर फायरिंग करते हैं। ज्वेलर के पैर में गोली लग जाती है। इसके बाद दोनों बदमाश बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं। यह मामला राजस्थान के किसी पिछले जिले के ग्रामीण इलाके का नहीं है। जयपुर शहर का मामला है। घटना के 65 घंटे बाद भी जयपुर पुलिस सीकर, दिल्ली-हरियाणा की खाक छान रही है। दोनों बदमाशों की पहचान होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

30 जुलाई की शाम विद्याधर नगर स्थित सन साइन सिद्धार्थ बिल्डिंग में ज्वेलर नवीन सोनी की जान लेने का प्रयास किया गया था। श्रीमाधोपुर का रहने वाला राहुल यादव और जमवारामगढ़ (जयपुर) के रहने वाले देवा ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद यह जानकारी सामने आई है। उधर, डॉक्टरों ने नवीन के पैर से गोली निकाल दी है। सीकर रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है।

अब तक की जांच में सामने आया है कि श्रीमाधोपुर के लिसाडिया कस्बे में रहने वाले राकेश यादव के कहने पर दोनों बदमाशों ने नवीन पर फायरिंग की थी। फायरिंग करने वाला राहुल यादव, राकेश यादव का भतीजा है। दोनों श्रीमाधोपुर थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं। तीनों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें कई जगहों पर दबिश दे रही है। वहीं, सीकर पुलिस से जयपुर पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने में मदद मांगी है।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया- मामले की गम्भीरता को देखते हुए सीएसटी की टीमों को भी बदमाशों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। तीनों बदमाशों के सम्भावित ठिकानों पर निरंतर दबिश दी जा रही हैं। इसके लिए संबंधित जिला पुलिस की भी मदद ली जा रही है। राकेश और राहुल यादव दोनों ही हार्डकोर क्रिमिनल हैं। इनके पुराने रिकॉर्ड को अन्य जिलों की पुलिस से मांगा गया है।

बदमाशों के ठिकानों पर रेड मार रही पुलिस

कैलाश बिश्नोई ने बताया- बदमाशों के घर और अन्य ठिकानों पर पुलिस टीम तैनात की गई है। वहीं, बदमाशों के सम्भावित ठिकानों पर पुलिस टीमें निरंतर रेड कर रही है। ये दोनों बदमाश सोशल मीडिया पर भी हथियारों के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर चुके हैं। दोनों चाचा-भतीजे के खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाशों ने रैकी करने के बाद बिल्डिंग की 5वीं मंजिल में घुस कर फायरिंग की। इन दोनों बदमाश का इरादा केवल डराने का था। क्योंकि इन लोगों ने जितने भी फायर किए, वह सभी कमर से नीचे किए। ये लोग पीड़ित नवीन सोनी को धमकाकर रंगदारी मांगना चाहते थे। नवीन सोनी ने कभी राकेश यादव को सीरियस नहीं लिया। इसके कारण इन बदमाशों ने केवल दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया।

राज्य स्तरीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन

राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की सतत् मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाए - मुख्य सचिव

जयपुर, 2 अगस्त। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि आगामी समय में शुरु होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की उचित मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाए, साथ ही इसके लिए जिला स्तर पर मॉनीटरिंग यूनिट भी बनाई जाए। श्रीमती शर्मा बुधवार को शासन सचिवालय में इन योजनाओं की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं।

मुख्य सचिव ने कहा कि 5 अगस्त से शुरु होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेलों के सफल आयोजन की रणनीति तैयार कर इसकी लगातार ब्राण्डिंग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आयोजन में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जाए साथ ही जनसहभागिता बढ़ाने के लिए नवाचार किया जाए।

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कन्ट्रोल रुम स्थापित हो-

मुख्य सचिव ने कहा कि 10 अगस्त से आरंभ होने वाली इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जाए साथ ही अधिकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से भी समन्वय बनाएं। उन्होंने कहा कि योजना के संचालन के लिए आयोजित शिविरों का प्रचार प्रसार करें तथा लाभार्थी वर्ग के स्थानों पर विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने शिविर स्थान का चयन, शिविरों का कैलेण्डर अपडेट, शिविर संचालन के लिए प्रशिक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट की मॉनिटरिंग के लिए कमिटी बनाई जाए-

श्रीमती शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त से शुरु होने वाले मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत वितरित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है ऐसे में इस सामग्री के रैण्डम सेम्पलिंग के लिए कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं के संचालन में अधिकारी उचित समन्वय से काम करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के बेहतर प्रचार- प्रसार व जन सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जाएं।

बैठक में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन मुख्य सचिव द्वारा बीकानेर, भरतपुर तथा कोटा संभाग के अधिकारियों के साथ इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन तथा संचालन के लिए समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित संभाग के कलेक्टर द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजनाओं की तैयारियों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में गृह, आयोजना, वित्त, सहकारिता, खेल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वायत्त शासन, संबंधित संभागीय आयुक्त तथा संबधित जिलों के कलेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौजूद थे।

पेपर लीक, महिला हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर करौली से जयपुर तक करेंगे पदयात्रा

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी यात्राओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यह न्याय यात्रा 3 अगस्त को राजस्थान के करौली से शुरु होकर विभिन्न जिलों में होते हुए 10 अगस्त को जयपुर पहुंचेगी। जहां महासभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शामिल होंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हुशियार मीणा ने कहा कि राजस्थान में जबसे कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है। तब से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महिला हिंसा बलात्कार और हत्या जैसे मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेपर लीक की वजह से युवा आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसे में राजस्थान की इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर राजस्थान की सरकार से न्याय मांगेंगे।

मीणा ने कहा कि यह न्याय यात्रा में राजस्थान के हर जिले के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। न्याय यात्रा की शुरुआत 3 अगस्त को करौली से होगी। इसके बाद यात्रा 4 अगस्त को कुंडगांव, 5 अगस्त को गंगापुर, 6 अगस्त पिपलाई, 7 अगस्त को लालसोट, 8 अगस्त को तूंगा, 9 अगस्त को बस्सी और 10 अगस्त को जयपुर के घाट की गुणी होते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचेगी।

लोहारू से सीकर के बीच चली डेमू ट्रेन, मिठाई बांटकर मनाई खुशी

चिड़ावा। चिड़ावा शहर को एक और ट्रेन की सौगात मिली। क्षेत्र में पहली बार डेमू ट्रेन शुरू हुई है। हाल ही में रेलवे ने इसका टाइम टेबल जारी किया था। पहली बार ट्रेन जब चिड़ावा आई। लंबे समय से इस ट्रेन के चलने की मांग की जा रही थी। ट्रेन के आगमन पर दैनिक यात्री संघ की ओर से ट्रेन के लोको पायलट का माला और साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इसके बाद मौजूद सभी यात्रियों, रेलवे स्टाफ और अन्य लोगों में भी मिठाई का वितरण किया गया।

उत्तर प्रदेश देश के उड्डयन क्षेत्र में नई पहचान बनकर उभरा: आदित्यनाथ

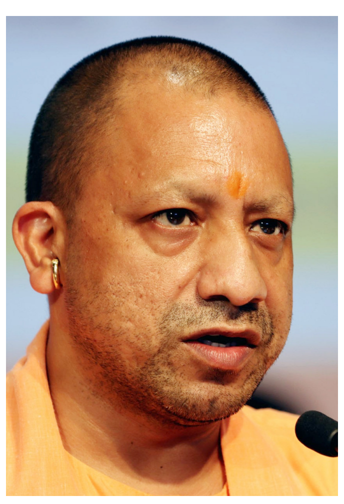

लखनऊ, 02 अगस्त (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य देश में समृद्ध होते उड्डयन क्षेत्र की नई पहचान बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का और विस्तार करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि करने एवं नागरिक सुविधाओं में विस्तार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश देश में समृद्ध होते उड्डयन क्षेत्र की नई पहचान बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश में अभी तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुम्भ से पूर्व प्रयागराज हवाई अड्डे की क्षमता एवं नागरिक सुविधाओं में विस्तार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जेवर हवाई अड्डे की संपर्क सुविधा बेहतर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या को देखते हुए उनके लिए सुविधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आदित्यनाथ ने बताया कि गोरखपुर हवाई अड्डे का प्रिपक्षीय सर्वेक्षण जुलाई में पूर्ण हो चुका है। उन्होंने इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।

बयान के मुताबिक, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बताया कि छह साल में प्रदेश में हवाई माध्यम से माल ढुलाई में चार गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि 2016-2017 में प्रदेश में माल ढुलाई 5,895 टन थी।

न्यायालय में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू

नई दिल्ली, 02 अगस्त (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई शुरू कर दी।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ बुधवार से इस मामले पर हर दिन सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह बृहस्पतिवार तक अपनी दलीलें जारी रखेंगे।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रमुख वकील को सभी पहलुओं पर दलीलें रखने की अनुमति देगी और बाकी वकील शेष पहलुओं पर दलीलें रख सकते हैं। पीठ ने पहले कहा था कि इस मामले में सुनवाई सोमवार तथा शुक्रवार को छोड़कर रोजाना की जाएगी। सोमवार और शुक्रवार शीर्ष अदालत में विविध मामलों की सुनवाई के दिन हैं। इन दिनों में केवल नई याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाती है, नियमित मामलों पर सुनवाई नहीं की जाती है। शीर्ष न्यायालय ने पहले कहा था कि पांच अगस्त 2019 की अधिसूचना के बाद पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संबंध में केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामा का पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा संवैधानिक मुद्दे पर की जा रही सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख-के रूप में विभाजित कर दिया था।

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या: M/C&W/JP/Works/LB/2022-23/Laundry-Rt-2 दिनांक: 01.08.2023

मंडल रेल प्रबंधक (कैरिज व वैगन) उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से नीचे गये कार्य के लिए दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी मैन्युयल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युयल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। ई-निविदा संख्या: M/C&W/JP/Works/LB/2022-23/Laundry-Rt-2. कार्य का नाम व स्थान: The work of Renovation of laundry at Jaipur. अनुमानित लागत: रु. 23685883.36 मात्र (रु दो करोड़ छत्तीस लाख पचासी हजार आठ सौ तिरासी और पैसा छत्तीस मात्र)। बिड सिक्योरिटी राशी: ₹ 268500.00 मात्र (रु दो लाख अड़सठ हजार पांच सौ रूपये मात्र)। ई-निविदा की अंतिम दिनांक और समय: 25.08.2023 सयम 15.00 बजे। ई-निविदा खोलने की दिनांक और समय: 25.08.2023 समय 15.00 बजे। उक्त ई-निविदा के सम्बध में विस्तृत जानकारी रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर तथा मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे- जयपुर के निविदा नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध हैं।

809-AK/23

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

RAJASTHAN STATE WAREHOUSING CORPORATION
(A Government Undertaking)

Head Office : Bhawani Singh Road, Jaipur 302015

No: RSWC/HO/Store/2Pur/Furniture/2023-24/4456 Date: 31.07.2023

Notice Inviting Bid

Bids for Supply and Fixing of Furniture and Supply & Installation of Digital Conference System in Meeting Hall at Head Office are invited from interested bidders till 07.08.2023 upto 3:30 PM. Other particulars of the bids may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state; and departmental website (www.agriculture.rajasthan.gov.in/rswc. The approximate values of the procurement for Supply and fixing of Furniture and Supply & Installation of Digital Conference System in Meeting Hall at Head Office are 5.00 Lakhs and 9.50 Lakhs respectively.

UBN SWC2324GSOB00096, SWC2324GSOB00095

Raj.Samwad/C/23/6849 Joint Director (Adm.)

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।

क्रमांक :-व-15(71)आरपीए/जन/विविध/2022/4457 दिनांक 25/07/2023

खुली निविदा सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी में क्रिकेट पिच बनवाने हेतु मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर देखी जा सकती है-

क्र. स.	आईटम	अनुमानित राशि (लाख)	अमानत राशि रू.	निविदा फार्म मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	क्रिकेट पिच बनवाने हेतु (Annexure -A के अनुसार)	1.20 लाख	2400/-रू.	500.00 रू.	03.08.2023

निविदा शर्ते :-

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 03.08.2023 दोपहर 1.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा/बिड बॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 03.08.2023 को 03.30 पी.एम पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
3. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिर्टन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
4. जो निविदाऐं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड.ए.आर रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
6. क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

UBN NO RPA2324WSRC00018

अतिरिक्त महानिदेशक
पुलिस एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस, अकादमी,
जयपुर ।

DIPR/C/11184/2023

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
SMFG IndiaCredit — Pragati Ki Nayi Pehchaan
(पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुरिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा व्यापक जनता को सूचना दी जाती है कि उधारकर्ता **कांता हथवाल (मृतक) अन्य सह-उधारकर्ता पुष्कर राज के साथ रु. 11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार रुपये मात्र) की वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)** (**"सुरक्षित लेनदार"**) से अनुसूची में वर्णित अचल संपत्ति (**"सुरक्षित संपत्ति"**) के विरुद्ध। वह, पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, उक्त ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया है और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ सरफेसी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस बीच, उक्त उधारकर्ता अर्थात् कांता हथवाल की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सुरक्षित ऋणदाता को पता चल गई है और सुरक्षित ऋणदाता के कई प्रयासों के बावजूद, वह उक्त मृत उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाया है।

इसलिए वर्तमान सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से, मृत सह-उधारकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों अर्थात् **कांता हथवाल** से अनुरोध किया जाता है कि वे तारीख से **07 दिनों** के भीतर सभी आवश्यक और सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी पहचान के बारे में लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इसका प्रकाशन, ऐसा न होने पर यह माना जाएगा कि मृत उधारकर्ता का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, जिसके बाद सुरक्षित ऋणदाता सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के साथ पढ़े गए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों सहित कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।) नियम, 2002 और उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ अपने सुरक्षा हित को लागू करना जिसमें उक्त सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना और उसके बाद अपने बकाया बकाया की वसूली के लिए उसकी बिक्री करना शामिल होगा।

सुरक्षित संपत्ति की अनुसूची: सुरक्षित संपत्ति: म्यूनिसिपल हाउस नंबर-4137, नींदर राव जी का रास्ता, चौकड़ी तोपखाना देश, टिक्कर माल का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान, माप-45.43 वर्ग गज।

स्थान: जयपुर दिनांक: 03.08.2023 एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
SMFG IndiaCredit — Pragati Ki Nayi Pehchaan
(पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुरिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

मांग सूचना

जलीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और संप्रदाय हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और संप्रदाय हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत एसएमएफजी **इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट)** का अधिकृत अधिकारी है और अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ पढ़ा जाता है, जारी किया गया अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस, निम्नलिखित उधारकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहता है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाने और प्रकाशन द्वारा प्रभावित की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है:

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना दिनांक राशि	अचल संपत्ति/बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण
1. श्री बजरंग स्वीट्स, 2. हंसा देवी, 3. विनोद शर्मा 4. नीरज शर्मा 5. निर्मला शर्मा ऋण खाता संख्या:- 173520910535801 एवं 173521210532468	18/07/2023 51,43,976/- रूपये से 16-08-2022 तक	संपत्ति का असर -संपत्ति के सभी भाग और पार्सल सुरक्षित संपत्ति 1:- दुकान नंबर-10, सेक्टर 13, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान। माप:- 20.72 वर्ग गज, सुरक्षित संपत्ति 2:- दुकान नंबर-11, सेक्टर 13, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान। माप:- 8.64 वर्ग मीटर

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ उसमें और ऊपर उल्लेखित मांग राशि का भुगतान करें। भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा। इसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) के निपटान या लेनदेन या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया गया है। इंडिया क्रेडिट और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : जयपुर दिनांक: 03.08.2023 एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

सम्पत्ति के विक्रय हेतु ऑनलाईन ई-नीलामी

kotak Kotak Mahindra Bank — **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी -27, जी-ब्लॉक, बांन्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051
शाखा कार्यालय: 7वां तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर- 125, नोएडा उत्तर प्रदेश-201313

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम जनता को साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है जिसका फुलर्टन इंडिया होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड (FIHFCL' से संबोधित) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2017 को कब्जा लिया गया, 'एफआईएचएफसीएल' द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के समनुदेशन के अनुसार, को "जहाँ है, जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर **अलखराम श्यामलाल और फूलमती श्यामलाल** से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूति लेनदार में ऋण खाता सं. 602607210668940, के बकाया रू. 21,63,437/- (रूपये इक्कीस लाख तरेसठ हजार चार सौ सैंतीस मात्र) दिनांक 28.07.2023 तक भविष्य का लागू ब्याज भुगतान होने तक की वसूली हेतु **दिनांक 12/09/2023 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के मध्य** (5 मिनट असीमित विस्तार के साथ) विक्रय किया जाएगा। आरक्षित मूल्य 9,75,000/- (रूपये नो लाख पिचहत्तर हजार मात्र) एवं अग्रिम धरोहर जमा राशि रू. 97,500/- (रूपये सत्यान्वे हजार पांच सौ मात्र) एवं ईएमडी व केवाईसी जमा कराने की अंतिम दिनांक 11.09.2023 सायं 06:00 बजे (भारतीय समय) तक है।

सम्पत्ति का विवरण: संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें प्लॉट नं. बी-32 हाउसिंग स्कीम "सनराईज सिटी" ब्लॉक नं. बी, गांव निवारू, तहसील एवं जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज या 181.15 वर्गमीटर,
संपत्ति की सीमाएं- उत्तर: प्लॉट नं. बी-24, दक्षिण: रोड 40 फिट, पूर्व: प्लॉट नं. बी-33, पश्चिम: प्लॉट नं. बी-31

ऋणियों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सामान्य रूप से आमजन और विशेष रूप से ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी कारण से निर्धारित नीलामी विफल रहती है तो प्रतिभूति लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से प्रतिभूत हित को लागू कर सकता है।

सम्पत्ति की बिक्री हेतु किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता हेतु बोलीदाता सम्पर्क करे- **श्री अक्षित सौलंकी** (+91 7302111608) श्री राजेन्द्र दहिया (+91 8448264515)

बिक्री के नियम व शर्तों की अधिक जानकारी हेतु कृपया लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html कोटक महिन्द्रा बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.kotak.com अथवा https://bankeauctions.com का सदर्भ लेवे।

दिनांक: 03.08.2023 स्थान: जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak Kotak Mahindra Bank — **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** — सम्पत्ति के विक्रय हेतु ऑनलाईन ई-नीलामी

रजि. कार्यालय: - 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.
शाखा कार्यालय: -7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर -7, सेक्टर -125, नोएडा उत्तर प्रदेश-201313

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और भतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्ज़ा फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "एफआईएचएफसीएल" के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी द्वारा **14-12-2022** को ले लिया गया है, **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार "एफआईएचएफसीएल" द्वारा, संपत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर 12-9-2023 दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ को बेचा जा रहा है। **रूपये 24,37,114/- (चौबीस लाख सैंतीस हजार एक सौ चौदह रूपये मात्र)** रुपये की वसूली के लिए **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** को ऋण खाता संख्या 602607210435477 के तहत **28-7-2023** तक वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज के साथ, हासिम बारिश और अंसार वारिस से सुरक्षित ऋणदाता।

आरक्षित मूल्य रूपये 12,00,000/- (बारह लाख रुपये मात्र) होगा और **बयाना राशि** रुपये 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) होगी और केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि **11-9-2023 शाम प्रथम 6:00 बजे** तक है।

संपत्ति विवरण: वह सब टुकड़ा और पार्सल पहली मंजिल पर फ्लैट नंबर एफ-03 (दाईं ओर छत के बिना) 1000 वर्ग फुट का है। साथ ही सामान्य सुविधाएं और निर्मित भूमि में आनुपातिक हिस्सेदारी पर प्लॉट संख्या 558, माप 375 वर्ग मीटर। स्वर्ण विहार, ग्राम हाज्यावाला, तहसील- सांगानेर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। भूमि का सीमांकन इस प्रकार किया गया है: पूर्व:- सड़क 12 माउंट, पश्चिम:- सड़क 48 माउंट, उत्तर:- प्लॉट नंबर 557, दक्षिण:- प्लॉट नंबर 559

सुरक्षित परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि यदि यहां निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो सुरक्षित ऋणदाता निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से सुरक्षा हित लागू कर सकता है।

बिक्री के तहत संपत्ति के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता के मामले में, बोलीदाता **श्री अक्षित सोलंकी (+91 7302111608) और श्री राजेंद्र दहिया (+91 8448264515)** से संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट यानी **www.kotak.com** और/या **https://bankeauctions.com** पर दिए गए लिंक **https://www.kotak.comlen/bank-auctions.html** का सदंर्भ लेवे।

स्थान : जयपुर प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 03-08-23 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: yuvrajsinghh@gmail.com